भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **1866** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 02 अगस्त, 2024/11 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है

विझिनजाम पत्तन पर दुर्घटनाएं

†1866. श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तिरुवनंतपुरम जिले के विझिनजाम में मुथलापोझी के बंदरगाह के मुहाने पर बढ़ती दुर्घटनाओं, जिनके कारण कई मछुआरों की मौत हो रही है, के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो मुथलापोझी में बंदरगाह के मुहाने पर प्रभावी तल-कर्षण कार्यकलापों को कार्यान्वित करने और सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि वहां दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई समाधान निकाला जा सके;

(ग) क्या केरल राज्य सरकार ने इस संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है और इस मुद्दे के समाधान के लिए वीआईएसएल (विझिनजाम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड) और अदानी पोर्ट्स के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाने की मांग की है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को ऐसी किसी रिपोर्ट के बारे में जानकारी है, जिसमें कहा गया है कि समझौता ज्ञापन के अनुसार संबंधित अधिकारियों को बंदरगाह के मुहाने पर 5 मीटर की गहराई को लगातार बनए रखना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): जी हां।

(ख), (ग) और (घ): मुथलापोझी बंदरगाह के मुद्दे का समाधान करने के लिए केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन ने स्थानीय मछुआरों द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में मॉडल अध्ययन किया है और दक्षिणी ब्रेकवॉटर की लंबाई का विस्तार करने और ब्रेकवॉटर के विस्तार का कार्य पूरा होने तक मुहाने और चैनल पर इकट्ठा हुई गाद को तत्काल हटाए जाने की सिफारिश करते हुए अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मॉडल अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर डीपीआर तैयार की गई है तथा "रोड़ मैप टू ब्लू पोर्ट" के दिशानिर्देशों तथा केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान द्वारा सुझाए गए अतिरिक्त फ्लूम

अध्ययन के आधार पर संशोधित की जा रही है। परियोजना पूरी हो जाने पर इस बंदरगाह के दुर्घटना मुक्त क्षेत्र बन जाने की उम्मीद है। इस बीच, राज्य सरकार ने तत्काल ड्रेजिंग कार्यों के लिए और ब्रेक वॉटर के संरक्षण के लिए 3 करोड़ रु. की निधि मंजूर की है।

(ङ) और (च): जी हां। 2018 में निष्पादित एमओयू के अनुसार अडानी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (एवीपीपीएल) चार्ट डेटम (सीडी) के संबंध में न्यूनतम 60 मी. चौड़ाई के साथ 5 मी. से कम की चैनल गहराई का रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, एवीपीपीएल सीडी के संबंध में 3 मी. से कम की गहराई बनाए रखते हुए पैरूमाथुरा और थाझंपल्ली मत्स्यन हार्बर क्षेत्रों की नौगम्यता सुनिश्चित करेगा। इस एमओयू में यह भी निर्धारित किया गया है कि लोडआउट सुविधा के निर्माण के कारण पुल पर ब्रेक वॉटर को होने वाले किसी भी नुकसान को एवीपीपीएल दुरूस्त करेगा।
